न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर.आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 116/2012

वादीगण

1. जगनाथ पुत्र शंकरलाल जाति भार्गव निवासी कुचामनसिटी
2. गीतादेवी पत्नी जगनाथ जाति भार्गव निवासी कुचामनसिटी
3. भंवरलाल पुत्र शिवजीराम जाति कुमावत निवासी पलाड़ा (सीतापुर)
4. बोदूलाल पुत्र शिवजीराम जाति कुमावत निवासी पलाड़ा (सीतापुर)
5. श्रवणराम पुत्र शिवजीराम जाति कुमावत निवासी पलाड़ा (सीतापुर)
6. पेमाराम पुत्र नाथूराम जाति कुमावत निवासी पलाड़ा (सीतापुर)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहनराम पुत्र किसनाराम कुम्हार निवासी पलाड़ा (सीतापुर)
   1/1 नारायणीदेवी पत्नी स्व. मोहनराम जाति कुम्हार
   1/2 रूपाराम पुत्र स्व. मोहनराम जाति कुम्हार
   1/3 रामूराम पुत्र स्व. मोहनराम जाति कुम्हार
2. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा:– इस्तकरार हक व भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।
श्री हरदेवसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी 1/1 से 1/3 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 23/10/2017

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सीतापुर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 841 रकबा 1.32 हैक्टर स्थित है जो पूर्व ग्राम पलाड़ा की सरहद में अंकित रही थी। उपर्युक्त भूमि सम्पूर्ण के प्रतिवादी नम्बर 1 मोहनराम काबिज खातेदार थे। प्रतिवादी मोहनराम से वादी संख्या 3 ता 5 के पिता शिवजीराम व प्रतिवादी पेमाराम दोनो भाईयो ने बहिस्सा बराबर से 0.32 हैक्टर भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनॉक 26.4.95 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से वे दोनो बहिस्सा बराबर से बतौर खातेदार काबिज रहे है। शिवजीराम का स्वर्गवास होने पर उनका हिस्सा जरिए उत्तराधिकारी शिवजीराम के पुत्रो वादी संख्या 3 4 5 व शिवजीराम की पत्नी सुन्दरदेवी व पुत्रिया भंवरीदेवी, शांतिदेवी, प्रमातीदेवी, कमलादेवी, आंचूदेवी व उर्मिलादेवी को प्राप्त हुआ। लेकिन शिवजीराम की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पत्नी व पुत्रियो ने अपना हक हिस्सा सम्पूर्ण हक त्याग शिवजीराम के पुत्रो वादीगण संख्या 3 4 5 के हक में पंजीकृत हक त्याग पत्र संख्या 2731/2010 दिनॉक 13.12.2010 को कर दिया गया। इस प्रकार इस भूमि में 0.16 हैक्टर भूमि वादी संख्या 3 4 5 के व 0.16 हैक्टर भूमि वादी संख्या 6 पेमाराम के कब्जा व अधिकार में है। उपयुक्त भूमि खसरा नम्बर 841 मे से 0.43 हैक्टर भूमि वादी संख्या 1 जगनाथ ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या 699/1995 दिनॉक 02.08.1995 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया व 0.15 हैक्टर भूमि वादी संख्या 2 गीतादेवी ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या 700/1995 दिनॉक 2.8.1995 के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से वे निरन्तर अपनी भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है। खसरा नम्बर 841 का नजरी नक्शा निम्नानुसार है :–

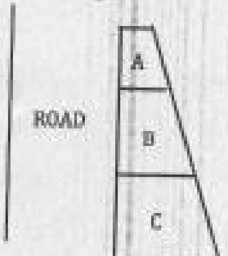

नजरी नक्शा में उत्तरी तरफ की ए स्थान की 0.15 हैक्टर भूमि वादी गीता देवी के व बी स्थान की 0.43 हैक्टर भूमि वादी जगन्नाथ के सी स्थान कीक 0.32 हैक्टर में 0.16 हैक्टर वादीगण 3 4 5 के व 0.16 हैक्टर वादी पेमाराम के कब्जा व बंट में है।

इसी अनुसार मौके पर सींव इत्यादि कायम है। मौके पर खसरा नम्बर 841 में 0.90 हैक्टर भूमि ही विद्यमान है जो उपर्युक्त हक व अधिकार अनुसार वादीगण के कब्जा में है, मौके पर खसरा नम्बर 841 में 0.42 हैक्टर भूमि कुचामनसिटी से रेल्वे स्टेशन सड़क मार्ग में अवाप्त हो चुकी है इसलिए मौके पर अब 0.42 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई कब्जा या अधिकार शेष नही रहा है। इस तथ्य को स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण संख्या 1 2 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र संख्या 699/1995, 700/1995 में उल्लेखित किया है । मौके पर नक्शा ट्रेस के अनुरूप 0.90 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 841 की विद्यमान है न कि 1.32 हैक्टर है। वादीगण ने भूमि का विधिवत बंटवारा कराने हेतु पटवारी हल्का को कहा तो उन्होने तमाम सह खातेदार की सहमति लिखा कर पेश कराने को कहा तो इसके बाद वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 को सहमति लिखने बाबत कहा तो इतने दिन आश्वासन देता रहा तथा अब आना कानी करने लग गया है। वादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भू–विभाजन कराकर अपनी अपनी जोत रेकर्ड में अलग कायम कराना चाहते है जिसके व पूर्ण हकदार है। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम सीतापुर तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 841 में नजरी नक्शा में वर्णित ए खण्ड की 0.15 हैक्टर भूमि का वादी गीतादेवी के, बी स्थान की 0.43 हैक्टर भूमि वादी जगन्नाथ के, व सी स्थान की 0.32 हैक्टर ड्डूमि मे 0.16 हैक्टर भूमि वादी संख्या 3 4 5 व 0.16

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हैक्टर भूमि का वादी संख्या 6 काबिज खातेदार कृषक है, इस आशय की खातेदारी अधिकारो की डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा शेष रकबा 0.42 हैक्टर का राजकीय खाता सड़क मार्ग मे घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से जवाब प्रस्तुत शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत, जो शामिल मिसल उपलबध है। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उनके पिता द्वारा वादीगण को 0.90 हैक्टर का ही बेचान किया है शेष 0.42 हैक्टर भूमि का किसी प्रकार का बेचान इत्यादि नही किया गया है, शेष भूमि 0.42 हैक्टर पर उनका आज दिन भी कब्जा काश्त है। जो भूमि वादीगण को बेचान की गई है उक्त भूमि में कुचामनसिटी से नारायणपुरा जाने वाली मुख्य सड़क मेगा हाईवे पर स्थित है जब प्रतिवादी के पिता मोहनराम ने वादीगण को भूमि का बेचान किया उस समय भी उक्त मुख्य सड़क मौके पर स्थित थी बाद में मेगा हाईवे सड़क का निर्माण हो गया तो इस प्रकार स्वतः ही यह साबित है कि उपरोक्त वादीगण की भूमि भी उनके विक्रय की गई भूमि मे से सड़क मे चली गई क्योंकि सम्पूर्ण खसरा नम्बर 841 का रकबा मुख्य सड़क पर स्थित है ऐसी स्थिति में मेगा हाईवे सड़क बनने के पश्चात उनकी भूमि भी उनके रकबे से कम होनी चाहिए । मौका कमिश्नर बिना प्रतिवादीगण को सूचना दिये मात्र 0.90 हैक्टर का ही नाप किया और उक्त 0.90 हैक्टर भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में बता दी जबकि मौका कमिश्नर को खसरा नम्बर 841 की सम्पूर्ण भूमि 1.32 हैक्टर का नाप करना चाहिए जबकि मौका कमिश्नर ने सम्पूर्ण भूमि 1.32 का जानबूझकर नाप नही किया मात्र 0.90 हैक्टर का ही नाप किया। ऐसी स्थिति में 1.32 हैक्टर भूमि का सही नाप व अंकन नही हुआ। 0.42 हैक्टर शेष बची भूमि प्रतिवादीगण के वारिसान की कहा पर स्थित है और सड़क में कितनी भूमि गई हुई है उसका वर्णन जानबूझकर कमिश्नर ने नही किया। विशेष उजरात में प्रतिवादी के कायम मुकाम ने कथन किया है कि 0.42 हैक्टर भूमि का राजकीय खाता सड़क मार्ग मे घोषित करने का अधिकार वादीगण को नही है न हकी उक्त 0.42 हैक्टर के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को कोई उक्त सड़क मार्ग के संबंध में किसी प्रकार का कोई नोटिस व मुआवजा राशि नही प्राप्त हुई है ऐसी स्थिति में प्रतिविादीगण की 0.42 हैक्टर खातेदारी की भूमि में दखल करन या रेकार्ड में से नाम हटाने या किसी प्रकार की प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री करवाने की काई कार्यवाही वादीगण को कानूनन प्राप्त नही है। वादीगण जानबूझकर प्रतिवादीगण के वारिसान को परेशान करने व उनकी खातेदारी व कब्जासुदा पैतृक सम्पति को हड़प करने की नियत से उक्त गलत तथ्यों के आधार पर जो दावा पेश

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

किया है वह काबिल खारिज करने योग्य है। तत्पश्चात प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप चालू जमाबन्दी की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल विक्रय पत्र की प्रति इत्यादि प्रस्तुत किये। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। वकील वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य स्वरूप वादी संख्या 1 व 2 के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

उभय पक्षकार अधिवक्ता की बहस सुनी गई । वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को बहस दोरान दोहराया है तथा वादी संख्या 1 व 2 के हिस्से तक वाद आंशिक डिक्री किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनॉक 23.10.2015 का अवलोकन किया गया, जिसमें वादी संख्या 1 व 2 का उत्तरी तरफ 0.58 हैक्टर पर कब्जा काश्त बताया है तथा शेष वादीगण का 0.32 हैक्टर पर कब्जा काश्त बताया है। वादी द्वारा भूमि 0.58 हैक्टर प्रतिवादी मोहनराम से क्रय की है जिसकी ताईद बेचान दस्तावेजात एवं जमाबंदी से होती है तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट मुताबिक वादी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त ग्राम सीतापुर के खसरा नम्बर 841 में उत्तरी तरफ 0.58 हैक्टर पर बताया है । इस प्रकार वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से निम्नवत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम सीतापुर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 841 रकबा 1.32 हैक्टर में से वादी संख्या 1 को 0.43 हैक्टर व वादी सख्या 2 को 0.15 हैक्टर अर्थात कुल 0.58 हैक्टर मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनॉक 23.10.2015 अनुसार 0.58 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। मौका रिपोर्ट दिनॉक 23.10.2015 डिक्री का भाग रहेगा। वादी संख्या 1 व 2 का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को लिखा जावे। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 23/10/17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)